उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की १८९वीं बैठक दिनांक १०.०९.२००४ का कार्यवृत्त

मद सं०	विषय	निर्णय
१८८/१-१	परिषद की १८८वीं बैठक दिनांक १२.०३.२००४ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की १८८ वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। सचिव सार्वजनिक उद्यम द्वारा कतिपय बिन्दुओ पर ध्यान आकर्षित किया गया जो मद संख्या-२ के समक्ष अंकित है।
१८९/१-२	परिषद की १८८वीं बैठक दिनांक १२.०३.२००४ की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई। परिषद के सदस्य सचिव उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यवृत्त के मद संख्या-१ व २ के बारे में निम्न बिन्दुओ पर ध्यान आकर्षित किया गया। १. १८८/२-३ परिषद कर्मिको को अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग का १६.११.८५ का शासना देश है जिसको संज्ञान में लेकर भविष्य में कार्यवाही की जाये। २. १८८/३-६ के अन्तर्गत वैम्बे के आवासो के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए नगरीय विकास अभिकरण को पत्र भेजना अवगत कराया गया है जबकि भूमि उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग/जिलाधिकारी एवं नगर निगम को पत्र भेज कर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। ३. १८८/६-३४ परिषद कर्मिको को महगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में ६.८.२००४ को शासनादेश जारी किया गया है उसके अनुसार महगाई भत्ता दिये जाने की कार्यवाही की जाये। ४. १८८/७-३८ (१) डिपाजिट कार्यो के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि को कैपिटल मद

		में नहीं रखा जाना चाहिए। (२) अनिस्तारित सम्पत्तियो की वर्षवार सूची तैयार कर उनमे से पुरानी सम्पत्तियो को शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जाने चाहिए। (३) एफ०डी०आर० पर अप्राप्त ब्याज को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओ को संज्ञान में लेते हुए उनपर कार्यवाही करके टिप्पणी अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाये उपरोक्त आबर्जवेशन के साथ परिषद की १८८ वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
१८९/२–३	योजना संख्या–१ (केशवपुरम तृतीय चरण, कल्यानपुर) कानपुर में ३३/११ के०वी० विद्युत सबस्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में।	कानपुर योजना संख्या–१ में ३३/११ के०वी० विद्युत सबस्टेशन निर्माण हेतु अनुमानित लागत २३५.५३ लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८९/२–४	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची प्रथम एवं द्वितीय।	परिषद की विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियो की प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय सूची अवलोकित की गई।
१८९/३–५	भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना कर्वी, चित्रकूट धाम की धारा–३१ (१) के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना कर्वी, चित्रकूट धाम की धारा ३१(१) का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८९/३–६	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–६, सहारनपुर की धारा ३१(१) का प्रस्ताव।	योजना संख्या–६, सहारनपुर की धारा ३१ (१) का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८९/३–७	भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–३, झाँसी की धारा–३१(१) के अन्तर्गत क्षेत्रफल ४५.७६ एकड़ भूमि के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	योजना संख्या–३ झांसी की धारा ३१ (१) का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

१८६/३–८	सुल्तानपुर रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ की धारा–२८ की अन्तर्गत परिषद की स्वीकृति के संबंध में।	सुल्तानपुर रोड योजना, लखनऊ के लिए भूमि अधिगृहण की धारा २८ की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय द्वारा बाई सर्कुलेशन से दि० १४.७.०४ को प्रदान की गई थी जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
१८६/३–६	परिषद की जी० टी० रोड बाई पास भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, वाराणसी के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित किया गया तथा परिषद की अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
१८६/३–१०	इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बस्तौली के खसरा संख्या ४४ की १.५५ में से १०,००० वर्ग फुट भूमि के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।	जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र दिनांक १७.११.२००३, ११.६.२००४ व २७.७.२००४ के आधार पर इन्दिरा नगर विस्तार योजना में समाविष्ट खसरा संख्या–४४ ग्राम बस्तौली की १०००० व०फुट भूमि वर्तमान आवासीय भूमि दर का २० प्रतिशत वेटरमेन्ट चार्ज लेकर आवासीय प्रयोजन हेतु समायोजन करने का निर्णय लिया गया।
१८६/३–११	योजना संख्या–१ विस्तार कानपुर में समाविष्ट ग्राम कल्याणपुर खुर्द स्थित आराजी संख्या २२६, २३० व २४० श्रीमती तसनीम अशरफ व श्री आरिफ अशरफ की भूमि के संबंध में।	किसी भी प्रकार की भूमि को अर्जन से मुक्त करने का अधिकार शासन को ही है, अतः योजना संख्या–१ विस्तार कानपुर में समाविष्ट खसरा सं०–२२६, २३० व २४० की १–१२–०–५ बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/३–१२	वृन्दावन योजना संख्या ३ व ४, लखनऊ एवं इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार योजना, लखनऊ की भूमि को करार नियमावली १९९७ के अन्तर्गत समझौते के माध्यम से भूमि क्रय करने के संबंध में।	परिषद की वृन्दावन योजना सं०–३ व ४, लखनऊ एवं इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार योजना लखनऊ की भूमि को करार नियामवली के अन्तर्गत आपसी समझौते के माध्यम से क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
१८६/४–१३	परिषद के मस्टर रोल श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान रू० २५५० एवं उसके साथ देय	सचिव उद्यम ब्यूरो एवं प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त द्वारा प्रस्ताव से

	महगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	असहमति व्यक्त की गई। विचार विर्मश के प्रश्चात प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/४–१४	लेखपाल संवर्ग के कर्मियों का सर्वेयर पद पर संविलियन किए जाने के संबंध में।	यदि नियमो के अन्तर्गत सम्भव है तो अनुमोदित किया जाता है।
१८६/४–१५	मानचित्रक संवर्ग के समयमान वेतनमान के संबंध में।	प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
१८६/४–१६	अधीक्षण अभियन्ताओं को स्थायी किए जाने के संबंध में।	अधीक्षण अभियन्ताओ को स्थायी किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
१८६/४–१७	परिषद कार्मिकों को १ जुलाई, २००३ से शासकीय कर्मियों की भाँति मंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	दिनांक ६.८.२००४ को जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
१८६/४–१८	चौकीदार वेतनमान रू० ७५०–६४० (पुनरीक्षित वेतन मान रू० २५५०–३२००) का एक पद कम करके बिजली मिस्त्री वेतन मान रू० ७७५–१०६७ (पुनरीक्षित वेतन मान रू० २६१०–३७३५) का एक अतिरिक्त पद सृजित किए जाने के सम्बन्ध में।	विशेष सचिव वित्त द्वारा असहमति व्यक्त की गई। विचार विर्मश के पश्चात प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/४–१९	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	सहायक अभियन्ता श्री राजीव कुमार को "नान फील्ड जाब" में शिथिलता देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/४–२०	परिषद में मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	मुख्य अभियन्ता की प्रोन्नति सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/४–२१	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की, उनके पूर्व विभाग (केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त शासी निगमों/उपक्रमों) की सेवा अवधि को	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	सेवा नैवृत्तिक लाभों हेतु परिषद सेवा अवधि में जोड़े जाने के संबंध में।	
१८६/४–२२	श्री नैपाल सिंह, सेवा समाप्त सहायक अभियन्ता के स्वयं के हृदयरोग के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कार्योत्तर संस्तुति प्रदान करने के संबंध में।	श्री नेपाल सिंह की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/४–२३	श्री विजय कुमार शर्मा, सहायक श्रेणी–।। को हृदयाघात के कारण इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।	विजय कुमार शर्मा की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को संदर्भित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
१८६/४–२४	मो० तौसीफ असरफ, मानचित्रक के हृदयरोग के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के संबंध में।	मो० तौसीफ असरफ के इनज्यो प्लास्टी एवं इनज्योग्राफी पर व्यय हुई धनराशि अनुमोदित कर शासन को स्वीकृति हेतु भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।
१८६/४–२५	श्री एस०पी०तिवारी, सहायक श्रेणी–प्रथम को मासिक वेतन से रूपया १.०० लाख (एक लाख) अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में।	श्री तिवारी को वेतन से १.०० लाख अग्रिम दिये जाने का प्रस्ताव नियमानुकूल न होने के कारण अस्वीकृत किया गया।
१८६/४–२६	लेखा संवर्ग में लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी पद के वेतनमानों में विसंगति के परिप्रेक्ष्य में वेतनमान संशोधन किए जाने के संबंध में।	लेखाकार के वेतनमानो में विसंगति के संशोधन का प्रकरण संबंधी न्यायालय के आदेश का रिब्यू/अपील की प्रभावी पैरवी की जाये। शासन पक्षकार बने इसके लिए शासन से अनुरोध किया जाये तथा न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये।
१८६/५–२७	वीर बालक मास्टर रियाज अहमद को जनपद लखनऊ में निःशुल्क पुनर्वास व्यवस्था किए जाने के संबंध में।	वीर बालक मास्टर रियाज अहमद को उनके साहसिक कार्य के "राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार २००३" दिया गया है उनके इस साहसिक कार्य के लिए वृन्दावन योजना में
		दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या ६ ए/१०८४ निःशुल्क आवंटित करने तथा स्टाम्प डियूटी व निबन्धन शुल्क भी परिषद द्वारा वहन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।

१८६/५–२८	मृतक परिषद कर्मचारियों को आवन्टित सम्पत्तियों पर देय धनराशि की छूट के संबंध में।	परिषद सेवा के दौरान मृतक कर्मिको को आवंटित सम्पत्तियो पर देय धनराशि की १०० प्रतिशत अथवा रू० ५० हजार जो भी कम हो, की सीमा तक धनराशि माफ करने का निर्णय लिया गया।
१८६/५–२९	परिषद की मैनपुरी योजना में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–६/४६,६/४७,६/४८एवं ६/६७ के आबन्टन के संबंध में। (कानपुर जोन)	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/६–३०	हाउसिंग डिमाण्ड सर्वे की संस्तुतियों का कियान्वयन।	परिषद द्वारा प्रदेश के एन०सी०आर० व मध्य क्षेत्र में ओ०आर०जी० मार्ग एवं राइट्स द्वारा कराई गयी हाउसिंग डिमाण्ड सर्वे की संस्तुतियाँ परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई। डिमाण्ड सर्वे समयबद्ध ढ़ंग से कराये जाने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा सराहना की गई। नगरीय क्षेत्रो के निकट वार्ती ग्रामीण क्षेत्रो के फोकल प्वाइंट चिन्हित कर विकास कराये जाने का सुझाव भी सचिव सार्वजनिक उद्यम द्वारा दिया गया। एन०सी०आर० क्षेत्र में १३ तथा मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत–१५ नगरो कुल २८ नगरो में हाउसिंग योजनाये प्रारम्भ करने की संस्तुति की गई हैं विचार विर्मश के पश्चात इन दोनो क्षेत्रो में ५–५ नगरो में वर्तमान वित्तीय वर्ष मे और शेष में आगामी वित्तय वर्ष में योजनायें प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र का सर्वेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
१८६/३१	आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ में वाहय ट्रंक विकास परियोजना पूर्ण करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को विकास सेवाओं के मद में रू० ५.०० करोड़ (रू० पॉच	लखनऊ विकास प्राधिकरण की १३५५ एकड़ की हरदोई रोड योजना में से २१६ एकड़ भूमि परिषद को उपलब्ध कराई गयी है

	करोड़) अग्रिम के रूप में दिए जाने के संबंध में।	जिसपर परिषद की आम्रपाली योजना विकसित की जा रही है। शासन स्तर पर यह तय हुआ था कि इस योजना के बाह्य विकास (सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जायेगे। इन कार्यो पर रू० ४२४७.२८ लाख का व्यय का प्राकलन एल०डी०ए० के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से परिषद को समानुपातिक ६८६.४ लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जानी है। परिषद द्वारा ५ करोड़ की धनराशि एल०डी०ए० को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई गयी है। प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
१८६/३२	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापितों को आबन्टित भूखण्डों की भूमि दर के संबंध में।	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के विस्थापित किसानो को आवंटित भूखण्डो को आवंटन की तिथि को प्रचलित दर लिये जाने तथा आवटंन पत्र जारी होने में विलम्ब में आवंटियो का कोई दोष न होने के कारण आवंटन पत्र जारी होने की तिथि तक ब्याज न लेने का निर्णय लिया गया। यह भी अपेक्षा की गई कि आवंटन पत्र यथा शीध्र निर्गत किया जाए।
१८६/३३	परिषद की मैनपुरी योजना के सेक्टर–५ में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या–५/सी०पी०–४ को व्यावसायिक से आवासीय भूप्रयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१८६/३४	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में स्थित व्यावसायिक बिल्डर्स भूखण्ड संख्या १८सी/५ के पुनर्जीवन के संबंध में।	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के व्यवसायिक भूखण्ड सं० १८ सी/५ के पुर्नजीवन पर विचार किया गया, और यह पाया गया कि बोली दाता द्वारा आवंटन निरस्त होने के २ माह ४ दिन के अन्तर्गत पुर्नजीवन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था

		परन्तु विभिन्न स्तरो पर प्रकरण अनिस्तारित रहा। इस अवधि में प्रश्नगत भूखण्ड की नीलामी हेतु ७ बार तिथियाँ नियत की गई परन्तु कोई भी बोली प्राप्त नही हुई। समस्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यदि बोली दाता वर्तमान एफ०ए०आर० १.२ पर भूखण्ड लेने को सहमत हो तो सहमति प्राप्त कर नियमानुसार पुर्नजीवन शुल्क जमा कराकर भूखण्ड का पुर्नजीवन कर दिया जाये। असहमति की दशा में प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया जाए।
१८६/३५	जागृति बिहार योजना संख्या–११ मेरठ के परिषद अधिनियम १९६५ की धारा ३१(१) की स्वीकृति का प्रस्ताव।	जागृति बिहार योजना संख्या–११ मेरठ की धारा ३१(१) की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस निर्देश के साथ प्रस्ताव स्थगित किया गया कि योजना की धारा २८ की विज्ञाप्ति प्रकाशन होने तक जिन कालोनाइजर्स/निजी भू–स्वामियो के मानचित्र स्वीकृति हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण में जमा किये गये थे उनके तल पट मानचित्र तथा उनके शुल्क प्राधिकरण में जमा करने सम्बन्धी पूर्ण विवरण व प्रमाणो सहित प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
१८६/३६	परिषद की योजना संख्या–१, कानपुर के ग्राम विनायकपुर के अन्तर्गत खसरा संख्या ७० रकबा १–०–० बीघा श्रीमती मंजुलता सिंहल की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/३७	इन्दिरा नगर (बस्तौली गाजीपुर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशा के खसरा संख्या–५६४/३ की ८६६५ वर्गफुट भूमि के संबंध में।	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के खसरा संख्या ५६४/३ शासनादेश दिनांक २० अगस्त २००४ के निर्णय के अनुसार वर्तमान आवासीय दर का २० प्रतिशत वेटरमेन्ट चार्ज लेकर आवासीय प्रयोजन हेतु समायोजित करने का निर्णय लिया गया।

१८६/३८	परिषद की मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–४ भाग–१ मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या–१२४ व १२५ की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/३९	वृन्दावन योजना संख्या–१, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम खरिका खसरा संख्या–३५४ रकबा ०–२–० बिस्वा भूमि को योजना में समायोजित किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/४०	परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के अन्तर्गत खसरा संख्या ११०,११२,११३,११४ मौजा बोदला तहसील व जिला आगरा की भूमि को विकास व्यय लेते हुए परिषद की योजना के ले आउट में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	पूर्ण तथ्य स्पष्ट करते हुए तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति बताते हुए पुर्नविचार हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
१८६/४१	कमला नगर (घटवासन) योजना, आगरा में अर्जित खसरा संख्या–६४५ रकबा ०–८– १४ बीघा भूमि को वर्तमान व्यावसायिक दर पर आबन्टित किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत भूमि में स्थल पर हुए अवैध निर्माणो की पैमाइश कराकर पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
१८६/४२	परिषद की नेहरू नगर योजना, देहरादून में स्थित खसरा संख्या–६२ व ६६ की १.४१ एकड़ भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि मुख्यालय से एक उच्च स्तरीय टीम भेज कर स्थल निरीक्षण करा लिया जाये और विपक्षी का पक्ष भी सुना जाये। प्रस्ताव पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
१८६/४३	योजना संख्या–१, कानपुर के ग्राम कल्यान पुर कलॉ के खसरा संख्या ४१७ की अवशेष ०–१४–० बीघा भूमि के सम्बन्ध में।	जिलाधिकारी कानपुर एवं शासन के पत्र सं० ६१० दि० ११.६.०४ को दृष्टिगत रखते हुए खसरा सं० ४१७ की ०–१४–० बीघा भूमि को आउट आफ कोर्ट सटेलमेन्ट के तहत वर्तमान आवासीय भूमि दर का २० प्रतिशत वेटरमेन्ट चार्ज लेकर योजना में आवासीय प्रयोजन हेतु समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/४४	परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा में समाविष्ट, मौजा–ककरेठा के खसरा संख्या ८६८, ८६६, ६०१, ६०२, ६०५, ६०६, अथवा ६०६ की भूमि को विकास व्यय लेकर अर्जनमुक्त/ समायोजित किए जाने के सम्बन्ध में।	सिकन्दरा योजना आगरा के खसरा सं० ८६८, ८६६, ६०१, ६०२, ६०५, ६०६, अथवा ६०६ को शासन द्वारा अर्जन मुक्त/समायोजित करने के प्रकरण पर विचार किया गया और पाया गया कि मौके पर उक्त भूमि पर निर्माण/विकास कार्य पूर्ण हो

		चुके है और भूमि भी रिक्त नही हैं। और शासन द्वारा इस भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। जो स्थल पर हुए विकास के अनुसार उचित नही हैं अतः पूर्ण तथ्य स्पष्ट करते हुए शासन से उक्त आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।
१८६/४५	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–२, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–उतरठिया के खसरा संख्या १३६ रकबा १–७–८ बीघा भूमि को अर्जन मुक्त किए जाने या वर्तमान दर पर मुआवजा दिए जाने क्रे सम्बन्ध में।	प्रश्नगत भूखण्ड पर बैंक का ऋण की स्थिति ज्ञात की जाये और प्रकरण तथ्यो सहित शासन को संदर्भित किया जाये।
१८६/४६	अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में/वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग के पुनर्गठन के संबंध में।	प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।
१८६/४७	परिषद के वित्त एवं लेखा के अधिकारियों की सेवा विनियमावली के संबंध में।	अनुमोदित / सेवा नियमावाली स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाये।
१८६/४८	परिषद में दैनिक वेतन/मस्टर रोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण एवं शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/४९	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिवार्षिता आयु सीमा निर्धारण के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/५०	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों को सुचारु रूप से संचालित कराए जाने हेतु सम्पत्ति प्रबन्धकों के अतिरिक्त पदों के सृजन विषयक।	सम्पत्ति प्रबन्धको के पद सृजन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और २८ फीज पद बहाल करने व ८ पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए शासन को संदर्भित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
१८६/५१	लिपिकीय संवर्ग में एक ही पद पर १६ वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को उच्चीकरण करते हुए प्रोन्नत वेतन मान प्रदान किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

१८६/५२	स्वर्गीय श्री पोथी सिंह यादव, गनमैन के पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह को उनके पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मानवीय आधार पर परिषद में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/५३	परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी समूह–''ग'' लिपिकीय वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/५४	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त शासी निकायों/निगमों/ उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा अवधि को परिषद सेवा अवधि में जोड़ा जाना तथा ऐसी अवधि हेतु समस्त सेवा नैवृत्तिक लाभ दिया जाना।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/५५	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत नीलगिरि काम्प्लेक्स में अवस्थित दुकान संख्या एस–१०७ के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण में पूर्ण धनराशि जमा होने के कारण प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/५६	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या २१/१२१ के विरूद्ध आरोपित दण्ड ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।(लख० जोन)	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१८६/५७	संजय विहार योजना संख्या–२, हापुड़ में आबन्टित भू–खण्ड संख्या–बी–६७ के विरूद्ध देय विलम्ब शुल्क के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/५८	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या ए–१४ के भू–प्रयोग के परिवर्तन के संबंध में।	प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
१८६/५९	परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में श्री तेज प्रताप सिंह को आबन्टित भवन संख्या–८६२ का मूल्य वर्ष १९९१ के दर पर दिए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६०	परिषद की योजना संख्या–१, कानपुर के एच०आई०जी० भवन संख्या जी–११४८ पर आरोपित विलम्ब शुल्क के संबंध में।(कानपुर जोन)	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

१८६/६१	विकास नगर योजना लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–४/५६१ के विरुद्ध देय समस्त ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६२	मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या–१, मेरठ स्थित भवन संख्या ४०७/३ के विरुद्ध देय ब्याज के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६३	योजना संख्या–१, हाथरस में श्रीमती शिव कुमारी गुप्ता को आबन्टित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–१/२६६ के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६४	श्री अशोक दूबे पूर्व सदस्य विधान परिषद को वृन्दावन योजना, लखनऊ में आबन्टित भूखण्ड संख्या–६सी/४३ के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६५	भागीरथी योजना, बिजनौर में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–३५७ के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६६	बुद्धिबिहार योजना, मुरादाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–१बी/४१३ के विरुद्ध देय बयाज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६७	योजना संख्या–२ रामपुर स्थित भवन संख्या ए–२११ (स्वयं वित्त पोषित) के साथ आबन्टित अतिरिक्त भूमि का ब्याज रहित किश्तों का निर्धारण एवं देय विलम्ब शुल्क तथा अतिरिक्त ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६८	सिविल लाइन्स योजना मुरादाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–५३ के विरुद्ध ब्याज/दण्ड ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६९	जिगर बिहार योजना मुरादाबाद में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या ए–३२१ के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ करने एवं रजिस्ट्री सम्पादन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/७०	सिकन्दरा योजना आगरा के मध्यम आय वर्ग	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

	भवन संख्या–१५ सेक्टर–१६ पर आरोपित ब्याज की अवशेष धनराशि को माफ किए जाने के संबंध में।	
१८६/७१	परिषद की शाहपुर योजना संख्या–१, गोरखपुर में दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–२३ के बिरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/७२	यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को योजना संख्या–१ इटावा में आवन्टित भूखण्ड संख्या ए–२४६ के विकय के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/७३	प्रह्लादपुरी योजना हरदोई स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–बी–११ के विरुद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८८/७४	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ स्थित भवन संख्या १०/२८८ के आबन्टी श्री राम अवतार की मुख्तारे आम श्रीमती जेबा अन्जुम के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/७५	श्रीमती साधना जगदीश के पक्ष में विकास नगर योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदिष्ट भवन संख्या ११/३२४ के विरुद्ध देय धनराशि में से व्याज, दण्ड व्याज माफ करने एवं मूल धन को बिना व्याज के किश्तों में किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/७६	विकास नगर योजना, लखनऊ में भू–खण्ड संख्या १/१३४ तथा इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में भूखण्ड संख्या ६/१०६५/१ के भू–प्रयोग कमशः मिश्रित एवं व्यावसायिक में परिवर्तन किया जाना।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१८६/७७	अर्जनमुक्त/समायोजित खसरा संख्या ७७ ग्राम इस्माईल गंज(मुंशी पुलिया चौराहे), इन्दिरा नगर, लखनऊ हेतु भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क का पुनरीक्षण।	प्रस्ताव वापस लिया गया।

१८६/७८	सहारनपुर स्थित परिषद की भगत सिंह योजना में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१८६/७९	राज नगर योजना, लखीमपुर में तीस मीटर चौड़ी सड़क के सम्मुख आवासीय भूखण्डों को आवासीय से मिश्रित भू–प्रयोग में परिवर्तित करना।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१८६/८०	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण उपविधि–२००० में सोलर–वाटर–हीटर –संयन्त्र की स्थापना हेतु मानक उपविधि को अंगीकृत करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८६/८१	परिषद की अलीगढ़ योजना संख्या–६ में स्थित खसरा संख्या–३७५७ क्षेत्रफल १–६–० बीघा भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	अधीक्षण अभियन्ता वास्तुविद नियोजक व सहायक आवास आयुक्त की समिति बना ली जाये जो स्थल निरीक्षण कर भू–स्वामी से निगोसीएशन कर आख्या प्रस्तुत करे।
१८६/८२	परिषद की योजना संख्या–१ व ३, कानपुर में सामाविष्ट पॉच नग सहकारी आवास समितियों की भूमि का परिषद अधिनियम १९६५ की धारा–५१ के अन्तर्गत वेटरमेन्ट चार्जेज लिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/८३	वृन्दावन योजना संख्या–२, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरठिया के खसरा संख्या ३५५ की १–१–५ बीघा भूमि को योजना में समायोजित/अर्जन मुक्त किए जाने के संबंध में।	मेजर श्री एन०बी०सिंह व श्रीमती सुधा सिंह को उनकी अर्जित भूमि के अनुक्रम में ४५०–४५० व०मी० का एक–एक भूखण्ड वर्तमान आवासीय दर के ४५ प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/८४	परिषद की गाजियाबाद योजना संख्या–३ में समाविष्ट सर्व श्री दयानन्द आदि की भूमि का वास्तविक विकास व्यय के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा ५० के अन्तर्गत बैटरमेन्ट चार्जेज लेने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/८५	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की बेतिया हाता, दक्षिणी योजना, गोरखपुर जो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के द्वारा यू०पी०टाउन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट १९१६ के अन्तर्गत मौजा– मिर्जापुर/	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

	बेतियाहाता गोरखपुर की समाविष्ट खसरा संख्या–२५७,२५८, २५५/१, २५५/२, २६१/१, २६१/२, २६२/१, २६२/२ कुल रकबा १.८५ एकड़ भूमि अर्जन मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।	
१८६/८६	रजदेपुर योजना, गाजीपुर में समाविष्ठ खसरा संख्या १६० की भूमि में से ८७५ वर्गमीटर भूमि मन्दिर/धर्मशाला भवन को अवमुक्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/८७	कमला नगर आगरा में समाविष्ट खसरा संख्या ७५६, ७६१ की ६०० वर्गमीटर भूमि के आवन्टन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/८८	तेलीबाग योजना संख्या–२, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–२२०६, २२१०, २२१४, २२१५ मि०जुमला रकबा ८४२४ वर्गफुट (७८३वर्गमीटर) भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।	श्रीमती असीरन को वृन्दावन योजना सं०–२ लखनऊ के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि के अनुक्रम में ३०० व०मी० का एक भूखण्ड वर्तमान भूमि दर का ४५ प्रतिशत लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
१८६/८९	आर्य समाज मन्दिर को सेक्टर–१० विकास नगर विस्तार योजना लखनऊ में भूमि आबन्टन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/९०	हंसपुरम योजना संख्या–२ कानपुर में निर्मित भवनों को मूल मूल्यांकन पर आबन्टित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/९१	शिवा शिक्षा समिति द्वारा संचालित कैम्ब्रिज कालेज सेक्टर–७, आवास एवं विकास परिषद कालोनी सिकन्दरा, आगरा को क्रीड़ांगन हेतु उसके पास लगे भूखण्ड को विद्यालय रेट पर आबंटन किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/९२	सहायक श्रेणी प्रथम/मुख्य सहायक एवं अनुभाग अधिकारी पदधारकों का वेतनमान लेखाकार/कनिष्ठ लेखाधिकारी पदधारकों के वेतनमानों की भॉति संशोधित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

१८६/६३	कार्यहित में सहायक श्रेणी प्रथम के पदों को अनुभाग अधिकारी के पदों में अपग्रेड किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६४	परिषद की डायमण्ड डेरी आवासीय योजना के ट्रांजिट कैम्प के ध्वस्तीकरण के संबंध में श्री विजय नाथ यादव, अधिशासी अभियन्ता को दी गयी निन्दा प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन का निस्तारण।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६५	परिषद के अभियन्ता अधिकारियों को उ०प्र०जल निगम की भाँति पूर्व से प्रदत्त समयमान वेतनमान की सुविधा को उ०प्र०जल निगम के नवीनतम आदेशों के अनुसार संशोधित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६६	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद के धारा–३१(१) के प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६७	परिषद की झूँसी योजना संख्या–३ इलाहाबाद में समाविष्ट ग्राम–कोहना के खसरा संख्या–२६८, ४११ की भूमि क्रमशः ६ बिस्वा १० बिश्वान्सी एवं ६ बिस्वा ७ बिश्वान्सी को परिषद की योजना के ले–आउट में आसुधार शुल्क लेकर समायोजित किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१८६/६८	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(श्रीपाल वर्मा)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(विद्यानन्द गर्ग)
आवास आयुक्त

(चितरंजन स्वरूप)
अध्यक्ष

पुष्टि की गई